

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 05/2020- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि..... (अ.)- संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 8 की उपधारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv) और उपवाक्य (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 703(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 19ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“19ग	9965	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष कारपोरेशन लि. या न्यू स्पेस इण्डिया लि. के द्वारा आपूर्ति की गयी उपग्रह प्रक्षेपण सेवा।	शून्य	शून्य”
------	------	--	-------	--------

(फाइल संख्या 354/135/2020-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2020- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2020, सा.का.नि 606 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2020, के द्वारा संशोधन किया गया है।